UPAZ010000992026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़।

उपस्थितः जय प्रकाश पाण्डेय, एच०जे०एस० (J.O. Code U.P.1883)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 62/2026

सूरज उर्फ मंटू उम्र लगभग 21 वर्ष पुत्र रामटहल निवासी ग्राम ओरिल केवटाना थाना पवई, जनपद आजमगढ़। .....**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार .....**विपक्षी/अभियोगी।**

दिनांक- 13.01.2026

1- प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. आवेदक/ अभियुक्त **सूरज उर्फ मंटू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-**310/2025** अन्तर्गत धारा-**103(1), 3(5), बी.एन.एस.,** थाना **पवई**, जनपद **आजमगढ़** के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त कारागार में निरुद्ध है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में रामटहल द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त कथन उसकी निजी जानकारी में सही व सच हैं।

3- **संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि** वादी मुकदमा रामकिशुन विन्द द्वारा थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी का पुत्र नरेन्द्र बिन्द उम्र लगभग 22 वर्ष घर से ननिहाल के लिए कहकर दिनांक 12.11.2025 को दोपहर लगभग 2 बजे निकला। वह अपने मामा के यहां सरैया (आलमपुर का पुरवा) थाना अम्बारी फूलपुर आजमगढ़ रात भर रहा। दिनांक 13.11.2025 को सुबह अपने ममेरे भाई राम अवतार के साथ निकला। रामअवतार को रास्ते में नहर के पास छोड़ दिया और ओरिल की तरफ चला गया जहां पर गांव के पहले खेत में चकरोड के पास नीरज, अनिल, प्रियंका, शंकर जो ननिहाल गोविन्द (मामा) ओरिल केवटाना ने मारा पीटा कि रामअवतार ने कुछ देर बाद फोन मिलाया तो नरेन्द्र ने बताया कि मैं खेत में पड़ा हूं, मुझे नीरज, अनिल, प्रियंका, शंकर ने मारकर खेत में फेंक दिया है। आओ मुझे ले चलो। वादी पहुंचा तो मृत्यु अवस्था में था, फिर वादी डाक्टर के पास ले गया जहां मृत घोषित कर दिया गया।

4- **आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि** आवेदक निर्दोष है रंजिशवश अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा। आवेदक की मु.अ.सं. 312/25 में जमानत स्वीकृत हो चुकी है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था, राय मशविरे से झूठे कथानक के आधार पर विलंब से नाम दर्ज कराया गया है। आवेदक द्वारा सहभागिता निभाने का कोई हेतुक नहीं है। हस्तगत मामले में नरेन्द्र द्वारा मोबाइल से वादी को अपने घायल होने की सूचना देना कहा है, यह बात झूठी है। काल डिटेल रिपोर्ट के साक्ष्य से यह बात पूरी तरह असत्य प्रमाणित हो जायेगी कि मृतक नरेन्द्र ने मोबाइल से वादी को कोई सूचना नहीं दी। चिकित्सीय साक्ष्य के परिशीलन से भी यह स्पष्ट है कि नरेन्द्र को चोट लगने की दशा में न कि वोछनी स्थिति में था और न ही वादी को कोई सूचना दी। आवेदक को गांव का होने के कारण राय़ मशविरे से काफी विलंब से नाम दर्ज कराया गया है। वादी घटना का प्रत्यक्षदर्शी

Digitally signed by JAI PRAKASH PANDEY
Date: 2026.01.13 16:59:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

साक्षी नहीं है, उसने नरेन्द्र की हत्या होते हुए प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, रंजिशवश व शंका के आधार पर झूठी नामजदगी की है। आवेदक द्वारा मामले में कोई सहभागिता नहीं निभायी गयी। सच्चाई यह है कि मृतक दूषित आचरण का था। वह अपने गांव से दूर आसनाई के चक्कर में आया था, उसी चक्कर में रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों द्वारा मारा गया। दूसरे दिन उसकी लाश मिलने पर राय मशविरे से झूठी कहानी गढ़कर निर्दोष लोगों को फंसा दिया गया। आवेदक विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा। आवेदक दिनांक 15.11.2025 से कारागार में निरूद्ध है। यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र मा० उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5- **विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में लाया गया है। दिनांक 13.11.2025 को वादी का पुत्र नरेन्द्र अपने ममेरे भाई राम अवतार को रास्ते में नहर के पास छोड़ दिया और ओरिल की तरफ चला गया जहां पर गांव के पहले खेत में चकरोड के पास प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसे मारा पीटा। रामअवतार ने कुछ देर बाद फोन मिलाया तो नरेन्द्र ने बताया कि मैं खेत में पड़ा हूं। वादी पहुंचा तो मृतक मृत अवस्था में था, फिर वादी उसे डाक्टर के पास ले गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के पुत्र की मारपीट कर हत्या कर दी गयी। गवाहों ने अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मात्र आपराधिक इतिहास नहीं होने से अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। सहअभियुक्ता की नियमित जमानत इस न्यायालय से पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों/पत्रावली का परिशीलन किया।

6- प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा कथन किया है कि वादी का पुत्र नरेन्द्र बिन्द उम्र लगभग 22 वर्ष घर से ननिहाल के लिए कहकर दिनांक 12.11.2025 को दोपहर लगभग 2 बजे निकला। वह अपने मामा के यहां सरैया (आलमपुर का पुरवा) थाना अम्बारी फूलपुर आजमगढ़ रात भर रहा। दिनांक 13.11.2025 को सुबह अपने ममेरे भाई राम अवतार के साथ निकला। रामअवतार को रास्ते में नहर के पास छोड़ दिया और ओरिल की तरफ चला गया जहां पर गांव के पहले खेत में चकरोड के पास नीरज, अनिल, प्रियंका, शंकर जो ननिहाल गोविन्द (मामा) ओरिल केवटाना ने मारा पीटा कि रामअवतार ने कुछ देर बाद फोन मिलाया तो नरेन्द्र ने बताया कि मैं खेत में पड़ा हूं, मुझे नीरज, अनिल, प्रियंका, शंकर ने मारकर खेत में फेंक दिया है। आओ मुझे ले चलो। वादी पहुंचा तो मृत्यु अवस्था में था, फिर वादी डाक्टर के पास ले गया जहां मृत घोषित कर दिया गया।

7- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना मृतक के ममेरे भाई रामअवतार का बयान दर्ज किया गया है जिसने अपने बयान में कथन किया है कि मेरी बुआ का लड़का नरेन्द्र बिन्द कोयम्बटूर में रहकर नौकरी करता था। 10 दिन पहले ही घर आया था और हम लोगों से मिलने दिनांक 12.11.2025

को शाम को मेरे घर आया था। घर आने के बाद उसने मुझसे बताया था कि वह ग्राम ओरिल केवटाना की रहने वाली प्रियंका से बातचीत करता है और उसी से मिलने के लिए मुझको साथ लेकर दिनांक 13.11.2025 की सुबह करीब 4 बजे मोटर साइकिल से ग्राम ओरिल केवटाना के लिए निकला। गांव से कुछ दूरी पर जाकर नहर के पास नरेन्द्र उतर गया था और ओरिल गांव की तरफ अकेले ही अपनी प्रेमिका प्रियंका से मिलने चला गया था। कुछ देर बाद नरेन्द्र ने मुझे फोन करके कहा कि चकरोड के पास नीरज, अनिल, प्रियंका, शिवशंकर ने मिलकर बहुत मारा पीटा, मैं खेत में पड़ा हूं, मुझे नीरज, अनिल, प्रियंका, शंकर ने मारकर खेत में फेंक दिया है, आओ मुझे ले चलो। फिर मैं मौके पर पहुंचा तो नरेन्द्र मौके पर मृत अवस्था में था। तब तक गांव के तमाम लोग मौके पर आये गये। नरेन्द्र को लेकर मैं और गांव के गोविन्द व गांव के कुछ लोग अम्बारी में डा. सुभाष के पास गये जहां पर जांच के बाद डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नरेन्द्र का प्रियंका से प्रेम प्रसंग था, उसी के कारण यह घटना हुई है।

8- विवेचक द्वारा स्वतंत्र गवाह राममिलन बिन्द का बयान दर्ज किया गया है जिसने अपने बयान में कथन किया है कि मेरे गांव के रहने वाले नीरज बिन्द की बहन प्रियंका का प्रेम प्रसंग नरेन्द्र बिन्द से पिछले एक साल से चल रहा था। इस बारे में कई बार नीरज बिन्द ने नरेन्द्र बिन्द को अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन नरेन्द्र बिन्द बात नहीं मान रहा था। नरेन्द्र बिन्द के बड़े भाई की ससुराल मेरी ही गांव में है और वह अक्सर प्रियंका से मिलने के बहाने ही गांव में आता जाता रहता था। दिनांक 13.11.2025 को सुबह में भी वह प्रियंका से मिलने के लिए गांव आया था और गांव के बाहर नीरज बिन्द ने अपनी बहन प्रियंका व नरेन्द्र बिन्द को संदिग्ध परिस्थितियों में देख लिया था। इस बात पर नीरज बिन्द काफी गुस्सा होकर अपने दोस्त शिवशंकर उर्फ शंकर, सूरज उर्फ मंटू को फोन करके बुलाया और वहीं पर नीरज की बहन प्रियंका भी थी। चारों मिलकर नरेन्द्र को खूब बेरहमी से जान से मारने की नीयत से सर पर तथा शरीर पर डंडा डंडा मारे, और मरा हुआ समझ वहीं पर छोडकर भाग गये। जब मैं सुबह उठा तो गांव में हल्ला हुआ कि नरेन्द्र बिन्द की मृत्यु हो गयी है। गांव के लोगों द्वारा बताया गया कि नीरज, शिवशंकर उर्फ शंकर, सूरज बिन्द और प्रियंका ने मिलकर मार डाला। शिवशंकर उर्फ शंकर का घर ग्राम पिलकिच्छा में है और वह काफी समय से गांव में ही अपने मामा गोविन्द के घर पर रहता है। घटना के बाद मौके पर गांव के तमाम लोग पहुंचे थे, गांव के नाते मैं भी मौके पर गया था।

9- इसके अतिरिक्त विवेचक द्वारा स्वतंत्र गवाह ग्रामवासी मेघनाथ केवट, हरीराम, छोटेलाल का भी बयान दर्ज किया गया है जिन्होंने राममिलन बिन्द के समान कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के घटना में शामिल होने का कथन किया है।

10- विवेचक द्वारा मृतक नरेन्द्र के मोबाइल नं. 9118820229 का सी.डी.आर. प्राप्त किया गया जिसमें सहअभियुक्ता प्रियंका के मोबाइल नं. 9005438567 पर दिनांक 13.11.2025 की रात 03.53 बजे पर 747 सेकेंड, समय 04.28 बजे 71 सेकेंड, समय 05.03 बजे 55 सेकेंड, समय 05.10 बजे 36 सेकेंड वार्ता होना पाया गया है। अंतिम बार समय 06.37 बजे मृतक के मोबाइल से उसके ममेरे भाई के मोबाइल नं. 7317828136 पर फोन किया गया है जिसमें 1026 सेकेंड वार्ता हुई है।

11- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक को 6 चोटें आना दर्शाया गया हैं जो निम्न हैं-

1. Contusion of size 33 cm x 16 cm present on posterior aspect of upper back region over scapula extanding from left to right shoulder joint.

2. Contusion of size 9 cm x 8 cm present on posterior and lateral aspect of right arm, 5 cm above from right elbow joint.

3. Contusion of size 9 cm x 6 cm present on posterior and lateral aspect of left arm, 2 cm above from left elbow joint.

4. Contusion of size 13 cm x 10 cm present on posterior aspect of left thigh, 9 cm above from left knee joint.

5. Contusion of size 10 cm x 6 cm present on right temporal region, just above from right ear pinna.

6. Contusion of size 9 cm x 5 cm present on posterior aspect of right hand.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Coma व Antemortem Head injury बताया गया है।

12- इस प्रकार विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयानों के अवलोकन से प्रथमदृष्टया इस स्तर पर यह प्रतीत होता है कि वादी का पुत्र मृतक नरेन्द्र सहअभियुक्ता प्रियंका से मिलने दिनांक 13.11.2025 की सुबह अपने ममेरे भाई रामअवतार के साथ गया था, जहां पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर चोटें पहुंचायी गयी तथा अभियुक्तगण मृतक को मरा जानकर वहां से भाग गये। मृतक द्वारा अपने भाई को फोन करके अभियुक्तगण द्वारा उसे मारे पीटे जाने के बावत बताया गया था। उक्त फोन काल की पुष्टि विवेचक द्वारा संकलित सी.डी.आर. से भी होती है। रामअवतार के घटनास्थल तक पहुंचने से पूर्व ही मृतक की मृत्यु हो चुकी थी। विवेचक द्वारा संकलित सी.डी.आर., गवाहों के बयानों से प्रथमदृष्टया इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता प्रतीत होती है तथा उस पर लगाये गये आरोपों को बल मिलता है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा हत्या जैसे अपराध से संबंधित है। सहअभियुक्ता प्रियंका की नियमित जमानत इस न्यायालय से दिनांक 18.12.2025 को निरस्त की जा चुकी है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

13- इस आदेश में मुकदमे के गुणदोष पर की गयी टीका-टिप्पणी जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु की गयी है जिसका मुकदमे के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14- अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सूरज उर्फ मंटू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-13.01.2026</u>

(जय प्रकाश पाण्डेय)

सत्र न्यायाधीश,

आजमगढ़।